| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 07-06-18 | [illegible] उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा [illegible] वर्ष 2018 वित्तीय वर्ष में [illegible] लोक अदालत। कोई कस्बा - बगड़ी नगर पर [illegible] आज पेश हुई उन तहसीलदार, बगड़ी नगर के पत्रांक राजस्व 2018/वस्तु/337 दिनांक 07-06-2018 द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर वादीगण को सुना गया। वादीगण ने उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर सहमति। स्त्री वादी [illegible] प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3 मि 3/5, 5 मि 11, 12 मि 17, 13 मि 8, 20, 24 मि 28 का वादग्रस्त तरीके से [illegible] प्रत्येक बार बार आवाजें दिलाए जाने पर उपस्थित नहीं रहने से दिनांक 09.07.13 एवं 09-10-2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपस्थित वादीगण पक्षकार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किये जाने की सहमति। स्त्री वादी अनुसार वस्तुतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया तथा डिक्री पत्रावली पृथक से मूर्त रूप किया जाकर पत्रावली बहु पत्रावली बनाया गया। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा आधिक वादीगण की अर्जी का विभाजन दरवाजा पक्षकारों में किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर अलग से बस्ते में बाद तकमील जमाशुदा जाकर दाखिल दफ्तर। |

(भगवती देवी गहलोत)
सरपंच
ग्राम पंचायत, बगड़ी नगर
पं. स. सोजत (पाली)

Sojat.

Scanned by CamScanner